

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में स्टाफ कार चालक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक २३/०२/२०१३ को प्रकाशित विज्ञापन संख्या ०२/२०१३ को रद्द किया जाता है।

दिनांक ०३.०८.२०१५

ह०/— आदेशानुसार
एस० के० सिंह
महानिबंधक (प्रभारी)
झारखण्ड उच्च न्यायालय,
राँची।